राजस्थान सरकार (प्रपत्र - 8)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़-शेखावाटी (सीकर)

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट) कैम्प गोडिया बड़ा

-: आदेश :-

प्रार्थी के खाता दुरूस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी गोडिया बड़ा व भू.अ.नि. तिहावली की रिपोर्ट तथा तहसीलदार रामगढ़ शेखावाटी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू - राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम साजासर (सोसासर) तहसील रामगढ़-शेखावाटी व जिला सीकर की जमाबन्दी सम्वत् 2074-77 में खाता संख्या 47 नया 43 पुराना में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है:-

क्रसं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1.	साजासर (सोसासर)	47 नया 43 पुराना	भगवानीसिंह पुत्र नारायणाराम	भागीरथमल पुत्र नारायण सिंह
	रहन व अन्य	प्रविष्टि		
	सहावत			

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़-शेखावाटी (सीकर)

क्रमांक :-
प्रतिलिपि:- 1760 24/5/19

1. तहसीलदार रामगढ़-शेखावाटी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री भागीरथ मल पुत्र नारायण सिंह जाति जाट की सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली। नि. गोडिया बड़ा

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़-शेखावाटी (सीकर)